[भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग-II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं.20/2024 -सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च, 2024

सा.का.नि. (अ) – सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 01 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 24/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.), जिसे भारत के राजपत्र में असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-धारा (i) में दिनांक 01 अप्रैल 2023 के सा.का.नि. 261(अ), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) *खंड 2 में,*

(क) उप-खंड *(1)* में मद *(ख)* के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा*:*

"विदेश व्यापार नीति के परिशिष्ट 4R में अधिसूचित माल के निर्यात के लिए *या विदेश व्यापार नीति के परिशिष्ट 4RE में अधिसूचित अग्रिम प्राधिकरण (मानद निर्यात को छोड़कर) के तहत माल के निर्यात के* लिए *या निर्यात ओरिएंट यूनिट द्वारा निर्मित या निर्यात किए गए माल के निर्यात के रूप में उक्त परिशिष्ट 4RE में अधिसूचित, संबंधित दर और सीमा पर परिशिष्ट 4R या परिशिष्ट 4RE के तहत अधिसूचित है, जो भी लागू हो*:

बशर्ते कि योजना के तहत अनुमत शुल्क क्रेडिट की गणना के लिए उक्त माल का मूल्य उक्त माल का घोषित निर्यात एफ.ओ.बी. मूल्य होगा या, उक्त माल के बाजार मूल्य का 1.5 गुना तक, जो भी कम हो";

(ख) उपखंड (4) में, शब्दों "*परिशिष्ट में अधिसूचित*" के लिए शब्दों "*उक्त परिशिष्ट 4R या परिशिष्ट 4RE में अधिसूचित, जैसा लागू हो*" को प्रतिस्थापित किया जाएगा*;*

(ii) तालिका में, क्रम संख्या 6, 7, 8 और 10 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा.स. सीबीआईसी-140605/14/2021-डीबीके]

(कपिल प्रजापति)

अवर सचिव,भारत सरकार

टिप्पणीः- मूल अधिसूचना संख्या 24/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 1 अप्रैल, 2023 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-धारा (i) में सा.का.नि. 261(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।